न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–556/2026

नारायण पासवान उर्फ नारायण कुमार बनाम् बिहार सरकार

भगवानपुर थाना कांड संख्या–58/2026

अधीन धारा–87 भारतीय न्याय संहिता।

04-06-2026 भगवानपुर थाना कांड संख्या–58/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–87 में अभिरक्षाधीन आवेदक **नारायण पासवान उर्फ नारायण कुमार उम्र–18 वर्ष पेसर–देवेन्द्र पासवान** साकिन–नवडीहा, थाना–खीजर सराय, जिला–गया, जो दिनांक–13.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री प्रमोद कुमार सिंह** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–10.02.2026 को सूचक की पत्नी अंजू कुमारी मार्केट जाने के बहाने घर से निकली और अपने प्रेमी नारायण कुमार के साथ भाग गई। नारायण कुमार गया जिला का रहने वाला है। नारायण कुमार का बड़ा भाई विक्की कुमार जिसका मोबाईल नं0–8072981443 है। सूचक का एक साल का पुत्र है। सूचक की पत्नी के साथ 45000 रूपया नगद, 30 ग्राम सोना और सूचक के पुत्र के गले से हनुमानी चुरा लिया गया है। सूचक की पत्नी अपने प्रेमी से मोबाईल नं0–6370644056 से काफी बात किया करती थी। सूचक अपने स्तर से काफी खोज–बीन किया लेकिन उसकी पत्नी का पता नहीं चला।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक दिनांक–13.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि पीड़िता बरामद हुई है और उसने कहा है कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया था। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–87 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है आवेदक दिनांक–13.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर सूचक की पत्नी अंजू कुमारी का अपहरण करने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–556 / 2026

नारायण पासवान उर्फ नारायण कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

04.06.2026

03, 14 एवं 15 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है लेकिन उक्त साक्षियों ने आवेदक को पीड़िता अंजू कुमारी को अपने साथ ले जाते हुए देखने की बात का समर्थन नहीं की है। कांड दैनिकी की कंडिका 05 से विदित होता है कि अपहृता अंजू कुमारी को बरामद किया गया है। मूल अभिलेख एवं कांड दैनिकी की कंडिका 06 में पीड़िता अंजू कुमारी का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–180 के अंतर्गत बयान अंकित है जिसमें उसने कही है कि दिनांक–10.02.2026 को वह अपनी मर्जी से अपने ससुराल से नारायण कुमार के घर शादी के लिए गई थी। आगे कही है कि वे दोनों पति–पत्नी के रूप में रह रहे हैं ओर उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था और वह अपनी मर्जी से गई थी। मूल अभिलेख के साथ अपहृता अंजू कुमारी का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–183 के अंतर्गत बयान अंकित है जिसमें उसने कही है कि उसकी पहली शादी मुकेश के साथ दिनांक–07.07.2023 को हुई थी। उससे उसे 1½ साल का एक बेटा है। मुकेश कुमार उसे मारता–पीटता था इसलिए वह नारायण के साथ दिनांक–10.02.2026 को उसके घर चली गई और दिनांक–11.02.2026 को उसने मंदिर में शादी कर ली। आगे कही है कि उसने पहली शादी भी घर से भागकर की थी इसलिए उसके मायके वाले उसके घर आते–जाते नहीं है और न ही बात–चीत करते हैं। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और मुश्किल समय में उसे नारायण ने साथ दिया। वह अपने पति के साथ पंजाब में रहती थी क्योंकि उसके पहले पति पंजाब में कंपनी में काम करते थे। जिस कॉलनी में वह रहती थी उसी कॉलनी में नारायण भी रहता था। जब उसका पति मारता–पीटता था तब उसे नारायण बचाता था। इसी कारण वह उसके पास आते गई। आगे कही है कि वह नारायण के पास जाना चाहती है। कांड दैनिकी की कंडिका 27 से विदित होता है कि कथित अपहृता का जन्म तिथि दिनांक–12.04.2009 अंकित है। उक्त जन्म तिथि दिनांक–12.04.2009 दर्शित करता है कि अभिकथित घटना दिनांक–10.02.2026 को लड़की का उम्र 18 वर्ष से कम है लेकिन प्राथमिकी अनुसार पीड़िता पहले से शादी–शुदा है और एक बच्चे की मां है। कांड दैनिकी की कंडिका 56 से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्व आरोप–पत्र समर्पित की जा चुकी है। यह मामला प्रेम–प्रसंग का प्रतीत होता है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक इस मामले में दिनांक–13.02.2026 से कारा में निरूद्व है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा आवेदक के कारा में निरूद्व अवधि को ध्यान में रखते हुये आवेदक को आरोप गठन के पश्चात् नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक को आरोप गठन के पश्चात् मो0 10,000 / – की समान राशि के दो प्रतिभूगण द्वारा जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि–

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–556 / 2026

नारायण पासवान उर्फ नारायण कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

04.06.2026 1. आवेदक किसी भी तरह से मुकदमा के निपटारा में देरी नहीं करेगा और आरोप गठन होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351 के तहत बयान होने के समय वह शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी आवेदक द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय आवेदक का जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

तथापि विद्वान न्यायालय आरोप गठन के पश्चात् बन्ध–पत्र स्वीकार करेगा।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।